

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।
(विधि शाखा)

अधिहरण (Confiscation) वाद सं०-46 / 2020-21

सरकार

-बनाम-

फिरोज अंसारी वगै०

आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक -3035/अप० शा० दिनांक - 03.12.2020 के द्वारा वादी पु०अ० नि० सिद्धेश्वर सिंह पे०-स्व० सुरेन्द्रनाथ सिंह सा०-रामु बरिया थाना-औधौगिक बक्सर जिला-बक्सर (बिहार) सम्प्रति थाना प्रभारी पालकोट-थाना जिला-गुमला के स्वलिखित आवेदन के आधार पर पालकोट थाना काण्ड सं०-30/2020 दिनांक-09.07.2020 धारा-414/34 भा० द० वि० एवं 11 (d) (e) पशुओं के प्रति कुरता रोकथाम अधिनियम-1960 एवं 12 झारखण्ड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम-2005 के तहत जप्त महिन्द्रा पिकऑप वाहन रजि० सं० - JH01DL- 7675 के मालिक फिरोज अंसारी पे०-हजरत अंसारी सा०-कारजे नरकोफी (सेरो) जिला राँची, महिन्द्रा पिकऑप वाहन रजि० सं० - JH07F- 8090 के मालिक यसीम अंसारी पे०-सोबरैल अंसारी सा०-लेदरु मुहल्ला थाना-सिसई जिला-गुमला एवं महिन्द्रा पिकऑप वाहन रजि० सं० - JH01CV- 3595 के मालिक तबरेज मिरदाहा पे०-तामीज मिरदाहा सा०-सारंडा बंरधटोली बलसौता बरन्दा जिला-लोहरदगा के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को अपना पक्ष न्यायालय में रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा सहायक लोक अभियोजक गुमला से वैधिक मंतव्य की मांग की गई।

उत्तरवादीगण को नोटिस निर्गत किया गया। उत्तरवादीगण अनुपस्थित रहने के कारण उनका पक्ष को नहीं सुना गया।

लोक अभियोजक गुमला द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि झारखण्ड गो-वंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम-2005 (Jharkhand Bovine Animal Prohibition of Slaughter Act.) के दंडात्मक धारा-12(3) में उल्लेख है कि: "Whenever a vehicle is found to have been used in transportation of cattle or, beef contravening any provision of this Act. the vehicle shall be forfeited to the State Government"


उक्त अधिनियम की धारा 12(1) एवं 12(3) में उल्लेखित सजा अपराधिक न्यायालय में संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध दोष सिद्ध होने पर दिया जा सकता है, एवं अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लघन कर गोवंशीय पशुओं या गोमांस का वहन करते पाए जाने पर संलिप्त वाहन को न्यायालय द्वारा राज्य के पक्ष में Forfeit किया जाएगा।


इस संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अपने कई निर्णयों में यह स्पष्ट

उल्लिखित है कि झारखण्ड Bovin Animal Prohibition of Slaughter Act.2005 में निहित प्रावधानों के आलोक में सक्षम न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध होने के उपरान्त ही राजसात की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Cr.M.P.No. 2862/2013 With Cr.M.P.No. 2865/2013 द्रष्टव्य।

उक्त विधिक प्रावधानों एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में वर्तमान में राजसात की कार्रवाई करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

इस आशय की सूचना पुलिस अधीक्षक गुमला/लोक अभियोजक, गुमला को भेजे।
लेखापित एवं संशोधित


29.12.22
उपायुक्त,
गुमला


29.12.22
उपायुक्त,
गुमला